2.

उत्तराखण्ड पंचायतीराज(संशोधन) विधेयक, 2024 (उत्तराखण्ड विधेयक संख्या वर्ष, 2024)

उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए-विधेयक

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

 (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड पंचायतीराज (संशोधन) अधिनियम, 2024 है।

धारा 8 का संशोधन

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 (जिसे यहां आगे मूल अधिनियम कहा गया है), की धारा 8 की उपधारा (1) के खण्ड (द) को निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्

"(द) उसकी दो से अधिक जीवित जैविक संतान है:

परन्तु पहली संतान के बाद दुबारा गर्भधारण करने पर एक साथ दो या उससे अधिक बच्चे पैदा होने पर अनर्हता संबंधी उक्त उपबंध लागू नहीं होगा।"

3. मूल अधिनियम की धारा 53 की उपधारा (1) के खण्ड (द) को निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात् :--

"(द) उसकी दो से अधिक जीवित जैविक संतान है:

परन्तु पहली संतान के बाद दुबारा गर्भधारण करने पर एक साथ दो या उससे अधिक बच्चे पैदा होने पर अनर्हता संबंधी उक्त उपबंध लागू नहीं होगा।''

4. मूल अधिनियम की धारा 90 की उपधारा (1) के

धारा 53 का संशोधन

धारा 90 का संशोधन

प्रमाणित प्रति लोक सूवना अधिकारी विधान सभा सविवालय उत्तराखण्ड खण्ड (द) को निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्:--

"(द) उसकी दो से अधिक जीवित जैविक संतान है:

परन्तु पहली संतान के बाद दुबारा गर्मधारण करने पर एक साथ दो या उससे अधिक बच्चे पैदा होने पर अनर्हता संबंधी उक्त उपबंध लागू नहीं होगा।"

> प्रमाणित प्रति लोक सूचना अधिकारी विधान सभा सन्विद्यालय

उत्तराखण्ड

Statement of Objectives and Reasons

It is necessary to amend the section 8, section 53 and section 90 of the Uttarakhand Panchayati Raj Act, 2016 to substitute the provision related to disqualification for membership of three-tier Panchayats for persons having more than two living biological children.

2- The proposed bill fulfills the above objectives.

Satpal Maharaj

Minister

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी विधान सभा सिंचवालय उत्तराखण्ड

Uttarakhand Panchayati Raj (Amendment) Bill, 2024

(Uttarakhand Bill No...... Year 2024)

Bill

further to amend the Uttarakhand Panchayati Raj Act, 2016

Be it enacted by the Uttarakhand State Legislative Assembly in the seventy-fourth year of the Republic of India as follows:-

Short title commencement

and 1.

(1)This Act may be called as Uttarakhand Panchayati Raj (Amendment) Act, 2024.

(2) It shall come into force at once.

Amendment of Section 8

- 2. Clause (r) of sub-section (1) of section 8 of the Uttarakhand Panchayati Raj Act,2016(hereinafter referred to as the principal Act) shall be substituted as follows, namely:-
 - "(r) He has more than two living biological children:

Provided that the above provision regarding disqualification shall not apply in case when two or more children are born in the second pregnancy after the first child."

Amendment of Section 53

3. Clause (r) of sub-section (1) of section 53 of the principal Act shall be

प्रमाणित प्रति लोक सूचना अधिकारी विधान सभा सविवालय substituted as follows, namely:-

"(r) He has more than two living biological children:

Provided that the above provision regarding disqualification shall not apply in case when two or more children are born in the second pregnancy after the first child."

Amendment of Section 90

- 4. Clause (r) of sub-section (1) of section 90 of the principal Act shall be substituted as follows, namely:-
 - "(r) He has more than two living biological children.

Provided that the above provision regarding disqualification shall not apply in case when two or more children are born in the second pregnancy after the first child."

प्रमाणित प्रति लोक सूचना अधिकारी विधान सभा सिद्यालय

खण्डवार ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक ''उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2016'' का संशोधन मात्र है।

- 1. विधेयक के खण्ड 1 में विधेयक का संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ हेतु उपबंध प्रस्तावित है।
- 2. विधेयक के खण्ड 2 में धारा 8 की उपधारा (1) के खण्ड (द) में संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।
- 3. विधेयक के खण्ड 3 में धारा 53 की उपधारा (1) के खण्ड (द) में संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।
- 4. विधेयक के खण्ड 4 में धारा 90 की उपधारा (1) के खण्ड (द) में संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।

सतपाल महाराज मंत्री।

प्रमाणित प्रति लोक सूचना अधिकारी विधान सभा सविवालय उत्तराखण्ड

वित्तीय ज्ञापन

- 1. प्रस्तावित विधेयक उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 में संशोधन मात्र है।
- 2. प्रस्तावित विधेयक में राज्य की संचित निधि से किसी प्रकार का आवर्ती एवं अनावर्ती प्रकृति का कोई व्यय अन्तर्निहित नहीं है।

सतपाल महाराज मंत्री।

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी विधान सभा सिंद्रेपालय उत्तराखण्ड

विधायी शक्तियों का प्रत्यायोजित ज्ञापन

- प्रस्तावित विधेयक "उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2016" का संशोधन मात्र है।
- 2. प्रस्तावित विधेयक में विधायी शक्तियों का सामान्य प्रत्यायोजन मात्र निहित है।

सतपाल महाराज मंत्री।

प्रमाणित प्रति लोक सूचना अधिकारी विधान सभा सविद्यालय उत्तराखण्ड